भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 657

दिनांक 06 दिसम्बर,2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

गैर-जरूरी आयातित वस्तुओं पर नियंत्रण करना

657. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:
श्री प्रतापराव जाधवः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री राहुल रमेश शेवालेः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कतिपय वस्तुओं की आवक शिपमेंट पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम, उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना और अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड देश को टीवी, टायर आदि जैसे गैर-जरूरी उत्पादों के आयात को कम करने में सहायता कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
(ख) सरकार का ऐसा कदम देश में किस प्रकार से गैर-जरूरी आयातित वस्तुओं का विश्लेषण और नियंत्रण करने और आयात गहन क्षेत्र में घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायक है;
(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान गैर- जरूरी वस्तुओं के आयात में कमी लाकर सरकार द्वारा कुल कितनी राजस्व राशि बचाई गई और
(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से पीएलआई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिन्हें 14 क्षेत्रों में लागू किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड बनाए गए हैं कि ग्राहकों की आवश्यक मानकों को पूरा करने वाले गुणवत्ता युक्त उत्पादों तक पहुंच हो। इन पहलों से देश को विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और अवमानक उत्पादों के आयात को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो वस्तुएं आयात की जाती हैं वह अवमानक गुणवत्ता की न हों, सीमा शुल्क प्राधिकरण सीमाओं पर गैर-अनुपालन वाले सामान के प्रवेश को बुद्धिमानी से रोकने के लिए जोखिम-आधारित ढांचे का पालन करता है। राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी बनाने के लिए सीबीआईसी में एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है।

जहां तक टीवी और टायर जैसे आयातित सामानों का संबंध है, व्यापार आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे उत्पादों के आयात की कई श्रेणियां हैं जहां आयात में काफी कमी आई है या समग्र आयात बास्केट में आयात का काफी कम मूल्य है जैसा कि नीचे दिया गया है:

तालिका: कुछ विशिष्ट वस्तुओं का आयात (मूल्य मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र.सं.	**एच एस कोड**	**वस्तु**	**2021-22**	**2022-23**	**अप्रैल-अक्टूबर 2022**	**अप्रैल-अक्टूबर 2023 (ए)**	**वृद्धि %**
1	85287213	54 सेमी से अधिक लेकिन 68 सेमी से अधिक स्क्रीन आकार का टेलीविजन सेट	0.25	0.13	0.10	0.02	-76.08
2	85287214	68 सेमी से अधिक लेकिन 74 सेमी से अधिक स्क्रीन आकार का टेलीविजन सेट	0.00	0.07	0.07	0.04	-44.96
3	85287215	74 - 87 सेमी के बीच स्क्रीन आकार का रंगीन टीवी सेट	0.20	0.17	0.12	0.03	-76.81
4	85287218	63 सेमी से कम स्क्रीन आकार का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले टेलीविजन सेट	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
5	85287219	एलसीडी टीवी सेट; अन्य	14.54	28.19	20.70	20.04	-3.21
6	40111010	मोटर कारों में प्रयुक्त रेडियल टायर	95.33	52.06	33.70	28.06	-16.72
7	40111090	मोटर कारों में प्रयुक्त टायर : अन्य	3.56	1.52	1.35	0.40	-70.24
8	40112010	बसों/लॉरियों में प्रयुक्त रेडियल टायर	16.92	9.46	7.53	1.01	-86.65
9	40112090	टायर : अन्य	0.63	0.40	0.22	0.12	-47.43
10	40114020	मोटर स्कूटर के लिए टायर	0.01	0.95	0.69	0.46	-33.48
11	40115090	साइकिल के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकार के टायर : अन्य	1.20	0.56	0.44	0.10	-77.90
12	40117000	कृषि या वानिकी वाहनों और मशीनों पर उपयोग किए जाने वाले टायर	1.21	1.23	0.59	0.53	-10.95

स्रोत: अप्रैल-अक्टूबर 2023 से संबंधित डीजीसीआई और *एस. डेटा अनंतिम है।*

(ख) और (ग) ऊपर (क) में दर्शाए गए अनुसार।

(घ) वाणिज्य विभाग निम्नलिखित व्यापक कार्यनीति: (i) घरेलू आपूर्ति की कठिनाइयों का समाधान करना और घरेलू उत्पादन के अवसरों/क्षमता में वृद्धि पर ध्यान देना; (ii) व्यापार उपचार विकल्पों का समय पर उपयोग; (iii) गुणवत्ता नियंत्रण; (iv) उत्पत्ति के नियमों को लागू करना; (v) टैरिफ उपाय/इनवर्टेड शुल्क सुधार; और (vi) आयात निगरानी पर आयात के मुद्दे पर समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों की नियमित रूप से निगरानी और संवेदनशील बना रहा है। इसके अलावा, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत के बढ़ते एकीकरण को ध्यान में रखते हुए निर्यात को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ कई कदम उठाए गए हैं।

*****